न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 02/2019 अपील (2018/00085)/बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 08.01.2019
निर्णय दिनांक– 05.04.2019

1. मृतक श्री पूना उर्फ पोना पुत्र जीवाजी भील निवासी झूपेल तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा वारिसान–
   (1/1) श्रीमती कंकु बेवा पुना जी भील निवासी खेरापाडा, पोस्ट झुपेल तहसील व जिला बांसवाड़ा
   (1/2) श्री गलिया पिता पुना जी भील निवासी खेरापाडा, पोस्ट झुपेल तहसील व जिला बांसवाड़ा
   (1/3) श्री मोहन पिता पुना जी भील निवासी खेरापाडा, पोस्ट झुपेल तहसील व जिला बांसवाड़ा
   (1/4) श्रीमती दलु पुत्री पुना जी पत्नी शान्तिलाल जी सरकोटा निवासी झुपेल तहसील व जिला बांसवाड़ा
   (1/5) श्रीमती इन्द्रा पुत्री पुना जी पत्नी सुरिया जी सारल निवासी भदरेल तहसील अम्बापुरा जिला बांसवाड़ा
   (1/6) श्रीमती तौलीु पुत्री पुना जी पत्नी नानूराम जी पारगी निवासी नयाखेड़ा तहसील अम्बापुरा जिला बांसवाड़ा
2. श्रीमती जोखी पुत्री जीवाजी पत्नी रतनाजी भील निवासी लिमथान तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कनिया पिता गलबाजी भील निवासी झूपेल तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा
2. श्री माना पिता गलबाजी भील निवासी झूपेल तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा
3. श्री सुखराम पिता गलबाजी भील निवासी झूपेल तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा
4. श्री रूपा पिता ऊंकार भील निवासी झूपेल तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा के वारिस श्री सुखलाल पिता रूपा निवासी झूपेल तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. श्री शंकर पिता खातुजी भील निवासी झूपेल तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा
6. ग्राम पंचायत झुपेल पंचायत समिति बांसवाड़ा
7. तहसीलदार बांसवाड़ा

..................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री सत्यप्रकाश व्यास : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
के प्रकरण संख्या 07/2013 निर्णय दिनांक 08–12–2014

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 05.04.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा प्रकरण संख्या 07/2013 दिनांक 08.12.2014 के विरूद्ध दिनांक 13.12.2014 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झुपेल की शामलाती खाते की आराजीयान किता 23 रकबा 74.07 बीघा भूमि श्री कानिया, माना, सुखराम पुत्र गलबा व हकरी बेवा गलबा, जीवा पिता जोखिया 2/3, रूपा पिता ऊंकार, कमजी, शंकर पुत्र खातु भील की खातेदारी में दर्ज थी। श्री जीवा पुत्र जोखिया भील की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान का नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 27.07.2004 स्वीकृत किया गया। जिसके द्वारा जीवा के स्थान पर वारिसान के रूप में श्री पूना पिता जीवा का नाम दर्ज हुआ। इस नामान्तरण से असन्तुष्ठ होकर रेस्पोडेन्ट्स ने उपखण्ड न्यायालय बांसवाड़ा में अपील दायर की, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.02.2008 से मृतक जीवा के वारिसान के रूप में उसके पुत्र पूना उर्फ पोना के साथ मृतक की पुत्री श्रीमती जोखी का नाम नामान्तरकरण में दर्ज करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश दिये। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदययपुर में अपील प्रस्तुत की। न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 112/08 अपील निर्णय दिनांक 20.02.2009 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बांसवाड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जीवा की विरासत का निर्णय साक्ष्य आदि ली जाकर किया जावे कि पूना उर्फ पोना मृतक सहखातेदार श्री जीवा का जायन्दा पुत्र है अथवा नहीं ? प्रकरण रिमाण्ड होने पर तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण 18/2009 निर्णय दिनांक 13.04.2012 से पूर्व में स्वीकृत नामान्तरणकरण संख्या 477 को निरस्त करते हुए जीवा के हिस्से की भूमि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट अर्थात् रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1,2,3 वगैराह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 936 दिनांक 23.05.2012 को स्वीकृत हुआ। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 13.04.2012 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स श्री पूना उर्फ पोना एवं श्रीमती जोखी की ओर से अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय में अपीलान्ट्स की ओर से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 07/2013 निर्णय दिनांक 08.12.2014 से अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को अपील में रिकार्ड पर लेने की आवश्यकता नहीं होना बताते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया एवं तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2012 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं मानते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की गई।

उक्त निर्णय व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 से 8 की ओर से बावजूद सम्मन तामील के कोई उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा लिखीत बहस प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 28.03.2019 को उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील के तथ्यों का ही दोहराव करते हुए पूना उर्फ पोना का जीवा का लड़का होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किये एवं उक्त सारे दस्तावेज पूना उर्फ पोना के जीवा का पुत्र होने के संबंध में रिलेवेन्ट है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन दस्तावेजों के बारे में एक भी शब्द कहे बिना इन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने से इन्कार कर दिया, जो गलत होकर बिना अधिकार के है। न्यायालय जिला कलक्टर का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि मेरिट पर केवल एक लाईन से फैसला दिया जो फैसला रीजन्ड नहीं होकर स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आने से काबिज निरस्त के है। आर्डर 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र को भी किसी रीजन्ड आदेश से फैसल नहीं किया है। जहां तक विवादित मामला हो तथा वारिसान का झगड़ा हो ऐसे मामले

में सरसरी तौर से नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्टस को हिदायत दी जानी चाहिये थी कि अगर उनका कोई हक व अधिकार है तो सक्षम न्यायालय से तय करावें परन्तु तहसीलदार द्वारा ऐसा नहीं कर मृतक के भाई के लड़को को वारिस मानकर नामान्तरकरण दर्ज करने के जो आदेश दिये बह बिल्कुल गलत होकर काबल निरस्त के है। अपने तर्कों के पक्ष में साईटेशन सिविल टाईम्स 2003(1) (सुप्रीम कोर्ट) पेज 120, आर. बी.जे. 2015 पेज 232, सिविल टाइम्स 2009(1) (सुप्रीम कोर्ट) पेज 85 पेश करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर बांसवाड़ा का आदेश दिनांक 08.12.2014 एवं तहसीलदार बांसवाड़ा का आदेश दिनांक 13.04.2012 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के नाम स्वीकृत कराये जाने का आदेश प्रदान किये जाने हेतु इश्तदुआ कीं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में बताया कि न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने निर्णय दिनांक 20.02.2009 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए श्री पूना उर्फ पोना मृतक खातेदार श्री जीवा का जायन्दा पुत्र है अथवा नहीं ? अपीलार्थीया संख्या 2 अपील लाने की अधिकारी नहीं है क्यों कि श्रीमती जोखी के लिये न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा दिनांक 20.02.2009 को दिया गया आदेश अन्तिम था। तहसीलदार को तो यह तय करना था कि श्री पूना उर्फ पोना मृतक खातेदार श्री जीवा का जायन्दा पुत्र है अथवा नहीं ? अपील केवल अपीलार्थी संख्या 1 के लिए ही रिमाण्ड की गई थी। इस कारण अपीलार्थी सं. 2 जोखी के बारे में यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना भी गया तो वह जोखी की हद तक अवैध एवं कानून विरुद्ध है। तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत दोनों पक्षों को सुनकर पारित निर्णय दिनांक 13.04.2012 की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त में होनी चाहिये थी, किन्तु अपील न्यायालय जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत की गई जो कानूनी महत्व नहीं रखती है। इस न्यायालय में प्रस्तुत यह अपील मयाद के बाहर है एवं इसके लिए मयाद अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त , उदयपुर द्वारा रिमाण्ड में दिये गये आदेश की पालना में दोनों पक्षों को सुना जाकर श्री पूना को श्री जीवा का जायन्दा पुत्र नहीं माना है एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में दिया गया निर्णय सही है। अतः अपीलार्थी की अपील मेरिट पर ही खारिज होने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । ग्राम झुपेल की शामलाती खाते की आराजीयान किता 23 रकबा 74.07 बीघा की सहखातेदारी भूमि के सहखातेदार श्री जीवा की मृत्यु के पश्चात् भूमि नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 27.07.2004 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की अपील न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के यहॉ होने पर उनके द्वारा मृतक की पुत्री जोखी का नाम भी दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त नामान्तरकरण की अपील इस न्यायालय में होने पर निर्णय दिनांक 20.02.2009 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्देश दिये गये कि मृतक खातेदार जीवा की विरासत का निर्णय साक्ष्य आदि ली जाकर किया जावे कि पूना उर्फ पोना मृतक सहखातेदार श्री जीवा का जायन्दा पुत्र है अथवा नहीं ? किन्तु तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा जीवा की पुत्री जोखी के हाने के बाद भी निर्णय दिनांक 13.04.2012 से जीवा की समस्त भूमि रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज करने के आदेश कर नामान्तरकरण संख्या 936 स्वीकृत कर लिया गया। जो कि न्याय की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 08.12.2014 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को अपील में रिकार्ड पर लेने की आवश्यकता नहीं होना बताते हुए एवं तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04. 2012 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं मानते हुए अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई। प्रथम तो न्यायालय जिला कलक्टर को यह देखा जाना चाहिये था कि पूना उर्फ पोना मृतक जीवा का वारीस है अथवा नहीं, विशेष रूप से तब जबकि अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर के यहॉ पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रतिलिपि, रोजगार कार्ड, आधार कार्ड एवं मतदाता सूचियों की प्रति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण में तहसीलदार के विवादित नामान्तरकरण के निर्णय का क्षेत्राधिकार पर भी विवेचन नहीं किया है, वस्तुतः धारा 75(F) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार तहसीलदार के विवादित नामान्तरकरण धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम , 1956 के निर्णय की अपील का क्षेत्राधिकार निदेशक, भू–अभिलेख (संभागीय आयुक्त) का होता है, जिला कलक्टर ने उक्त अपील का क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय किया है तथा रेस्पोडेन्ट्स ने इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में यह उज्र नहीं लिया है, अब इस न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स के इस आधार को मियाद की आपत्ति बनाना विधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर किया गया उक्त निर्णय जिसमें उनके द्वारा उचित दस्तावेजों को रेकार्ड पर नहीं लिया है तथा उक्त दस्तावेजों का मृतक जीवा की विरासत से पुना वारीस बनता है अथवा नहीं इस पर विवेचन नहीं किया है तथा तहसीलदार द्वारा जीवा की पुत्री जोखी को 40 वर्ष पूर्व विवाह हो जाने के कारण जोखी को जीवा की विरासत से वंचित कर दिया है, उस पर भी कोई विवेचन नहीं किया है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विरूद्ध होने तथा तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जाता है।

प्रकरण में जहां तक तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा इस न्यायालय के अपील संख्या 112 / 08 में निर्णय दिनांक 20.02.2009 के सन्दर्भ में अपने यहां दर्ज प्रकरण संख्या 18 / 09 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2012 का प्रश्न है, उक्त निर्णय में तहसीलदार द्वारा पूना की साक्ष्य

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

लेने हेतु उचित अवसर नहीं दिये गये है तथा सिर्फ रेस्पोडेन्ट्स की साक्ष्य के आधार पर पूना को प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी नहीं होना माना है। इसके विपरीत पूना द्वारा जिला कलक्टर के यहां कई दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं को जीवा का वारिस होना बताया है, इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 जोखी को जीवा की पुत्री नहीं होना नहीं माना है अर्थात जोखी जीवा की पुत्री होने के बावजूद जोखी को जीवा की विरासत से वंचित करने का आधार यह बताया है कि उसका विवाह 40 वर्ष पूर्व होकर वादग्रस्त भूमि पर वह काबिज नहीं है। तहसीलदार का जोखी के बाबत उक्त निर्णय पूर्णतया अविधिक है क्योंकि किसी भी पुत्री को विवाह हो जाने के कारण उसके विरासती उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा विरासत में कब्जा गौण होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट पूना के बाबत निर्णय में पूना को बिना पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना पारित किया गया निर्णय तथा जोखी को जीवा की विरासत से वंचित किये जाने में किया गया निर्णय औचित्य पूर्ण व विधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांसवाड़ा का निर्णय उपरोक्त विवेचनानुसार प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने तथा तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से , हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों के कम में, अपास्त किया जाता है। प्रकरण में हम यह उचित पाते है कि तहसीलदार बांसवाड़ा इस प्रकरण में उभय पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दे तथा हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत विधिक विवेचना की जाकर आख्यापक एवं विधिक निर्णय पारित करें।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा एवं तहसीलदार बांसवाड़ा के अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बांसवाड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित करते है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रख उभय पक्षों को निर्देशानुसार सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें । पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10 जून, 2019 को उपस्थित हों।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 05.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर